# The Society Registrikaran (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1978

Act 13 of 1978

Keyword(s):
Society, Elector, Election, Registration, Officer

## सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1978)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 30 मार्च, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 11 अप्रैल, 1978 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 26 अप्रैल, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1-खंड (क) में दिनांक 27 अप्रैल, 1978 ई0 को प्रकाशित हुआ।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

### अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) इसे 27 फरवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायगा।

PRICE 15 PAISE

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 29 मार्च, 1978 ई0 का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट का भाग 3-खंड (क) देखिये।]

अधिनियम संख्या 21, सन् 1860 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (1) में, शब्द "एक सौ रुपये की फीस" के पश्चात् शब्द "या ऐसी कम फीस जिसे राज्य सरकार सोसाइटियों के किसी वर्ग के सम्बन्ध में अधिसूचित करे", बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 3-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3-क में, उपधारा (3) में, खंड (क) में, शब्द "दस रुपये की फीस" के स्थान पर शब्द "धारा 3 के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस के बराबर या दस रुपये की फीस जो भी कम हो", रख दिये जायेंगे।

धारा 25 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु किसी पदाधिकारी का निर्वाचन अपास्त कर दिया जायगा, जहां विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि—

(क) ऐसे पदाधिकारी द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है ; या

(ख) किसी उम्मीदवार का नाम-निर्देशन अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है ; या

(ग) निर्वाचन के परिणाम पर जहां तक उसका सम्बन्ध ऐसे पदाधिकारी से है, अस्पष्ट नाम-निर्देशन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार करने, या किसी मत को अनुचित रूप से प्राप्त, इन्कार या रद्द करने से या किसी ऐसे मत को, जो शून्य है, प्राप्त करने से या सोसाइटी के किसी नियम के उपबन्धों के किसी अननुपालन से सारवान प्रभाव पड़ा है।

स्पष्टीकरण—(एक) किसी ऐसे व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण करने वाला समझा जायगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा—

(एक) किसी निर्वाचक को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने या मत देने से विरत रहने या किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने या नाम वापस न लेने के लिए कपट, साशय दुर्व्यपदेशन, प्रपीड़न या चोट पहुंचाने की धमकी देकर उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है ;

(दो) किसी निर्वाचक को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने या मत देने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने या किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने या नाम वापस न लेने के लिए उत्प्रेरित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति को कोई धन या मूल्यवान प्रतिफल या किसी स्थान या नियोजन का प्रस्ताव करता है या देता है या व्यक्तिगत फायदा या लाभ का कोई वचन देता है;

(तीन) खण्ड (एक) और (दो) में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरित (भारतीय दण्ड संहिता के अर्थान्तर्गत) करता है ;

(चार) किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है कि वह या कोई व्यक्ति जिसमें वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या अध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जायगा, या बना दिया जायगा ;

(पांच) जाति, समुदाय, पंथ या धर्म के आधार पर संयाचना करता है ;

(छः) कोई ऐसा अन्य आचरण करता है जिसे राज्य सरकार भ्रष्ट आचरण विहित करे।

स्पष्टीकरण—(दो) 'किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत फायदा या लाभ का वचन देने' के अन्तर्गत स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को जिसमें वह हितबद्ध है, प्रसुविधा देने का वचन भी है।

स्पष्टीकरण—(तीन) राज्य [illegible]र ऐसे निर्वाचनों के सम्बन्ध में संदेहों या विवादों की सुनवाई और विनिश्चय के [illegible] प्रक्रिया विहित कर सकती है और ऐसे निर्वाचनों से संबंधित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जिनके लिए इस अधिनियम में या सोसाइटी के नियमों में अपर्याप्त उपबन्ध हैं, उपबन्ध बना सकती है।"

निरसन और अपवाद

5—(1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी।

उ0 प्र[illegible] अध्यादे[illegible] संख्या सन् 19[illegible]

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 255 सा0 (विधा0)—6-10-78—(2291)—1978—1834+50 (मेक0)